उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

न्यायमूर्ति श्री एस0 के0 मिश्रा
और
न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार वर्मा

आपराधिक अपील संख्या 60 वर्ष 2013

मध्य :

कुर्बान .....अपीलकर्ता

बनाम्

उत्तराखंड राज्य और एक अन्य .....उत्तरवादी

साथ

राज्य सरकार अपील संख्या 28/2013

मध्य :

उत्तराखंड राज्य .....अपीलकर्ता

बनाम्

रिजवान उर्फ काला और एक अन्य .....उत्तरवादी

साथ

राज्य सरकार अपील संख्या 30/2013

मध्य :

उत्तराखंड राज्य .....अपीलकर्ता

बनाम्

नौशाद उर्फ आबू .....उत्तरवादी

साथ

राज्य सरकार अपील संख्या 59/2013

मध्य :

कुर्बान .....अपीलकर्ता

बनाम्

उत्तराखंड राज्य एवं अन्य .....उत्तरवादी

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता : श्री नवीन सिंह विष्ट, संक्षिप्त धारक श्री ललित शर्मा विद्वान अधिवक्ता

राज्य की ओर से अधिवक्ता : श्री जे0 एस0 विर्क, विद्वान उपमहाधिवक्ता

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् इस न्यायालय द्वारा

निर्णयः (न्यायमूर्ति श्री एस0 के0 मिश्रा के अनुसार)

अपीलकर्ता जो कि मूल वाद में परिवादी थे तथा उत्तराखंड राज्य ने दिनांक 31.01.2013 को सत्र वाद संख्या 145/2000 जो कि अपराध संख्या 301/1999 अंतर्गत अपराधी धारा 302, 201, 364 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षिप्तता के लिए दण्ड संहिता के रूप में संदर्भित) से उत्पन्न हुआ था में दिये गये निर्णय के विरूद्ध यह अपील दाखिल किया है। दो आरोप पत्र समर्पित किये गये इसलिए दो मामले प्रारंभ किये गये। चूंकि प्रथम सूचना मूल रूप से दण्ड संहिता की धारा 302, 201, 364 के अंतर्गत मूल रूप से दायर की गई थी, अनुसंधान अधिकारी ने वाद में धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम 1959 (इसके बाद शस्त्र अधिनियम के रूप में संदर्भित) जिसके लिए एक अलग शस्त्र विचारण प्रारंभ किया गया था यद्यपि पूरे मुकदमे को एक समान रूप से लिया गया और एक समान फैसले से निष्पादित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दोनों उत्तरदाता सूचक कुर्बान के घर आये और अपीलकर्ता को बगीचे में जाने का बहाना करके ले गये। यह भी कहा गया है कि मृतक और दोनों उत्तरदाता के मध्य कुछ विवाद था इसलिए मृतक वापस नहीं लौटा तो परिवादी ने उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ की लेकिन उसे ढूढ नहीं सका। फिर 14.11.1999 को एक गांव पंचायत बुलाई गई, जिसमें दोनों प्रतिवादी नौशाद और रिजवान ने अपना अपराध स्वीकार किया और यह कहा कि उन्होंने चाकू से हत्या की है और उसके शव को भूमि में गाढ़ दिया।

तत्पश्चात् दिनांक 14.11.1999 को ही एक एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गई। दोनों उत्तरदाता गिरफ्तार किये गये और यह कहा गया कि उनके द्वारा एक मृत शरीर की बरामदगी कराई गई जिसका अपघटन बहुत उच्च स्थिति में था। परन्तु उसकी पहचान परिवादी और उसके पुत्र द्वारा की गई जबकि उसे कब्र से खोदकर दण्डाधिकारी की उपस्थिति में निकाला गया। उत्तरदाता रिजवान के निर्देश पर शव बरामद किया गया और उत्तरदाता नौशाद के निर्देश पर एक चाकू भी बरामद किया गया। इसके पश्चात् मृत शरीर को पोस्टमार्टम परीक्षण के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम होने के पश्चात् चिकित्सक द्वारा मृतक के मृत्यु के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी गई क्योंकि मृत शरीर काफी सड़ी हुई अवस्था में था। हालांकि मृतक के शरीर से निकला विसरा सुरक्षित रखा गया और उसे सिरम संबंधी–रासायनिक जांच हेतु भेजा गया जिसमें आर्गनोफॉस्फोरस कीटनाशक की उपस्थिति पाई गई। इसके पश्चात् जांच अधिकारी ने दोनों उत्तरदाताओं के विरूद्ध दण्ड संहिता की धारायें 302, 201, 364 और शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया।

3. इस मामले में बचाव पक्ष ने सरल इन्कार और झूठा फंसाये जाने का तर्क दिया। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (संक्षिप्तता के लिए संहिता के रूप में संदर्भित) अपने बयान में कहा है कि मृतक को उसके प्रेमी द्वारा धोखा दिया गया था और इसलिए उसने जहर खा लिया। अभियोजन पक्ष ने मामले को प्रमाणित करने के लिए कुल 12 गवाहों का परीक्षण कराया और अनेक दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित कराया।

4. पी0 डब्लयू0 1 कुर्बान इस वाद के परिवादी हैं। पी0 डब्लयू0 2 मुनीजा अंतिम बार देखे जाने की साक्षी हैं। पी0 डब्लयू0 3 मोहम्मद मकसूद और पी0 डब्लयू0 4 जाहीद हसन मृतक के पिता और साले हैं जिन्होंने मृत शरीर की बरामदगी के बारे में कथन किया है और वे पंचायत में भी उपस्थित थे। पी0 डब्लयू0 6 मोहम्मद हनीफ और पी0 डब्लयू0 8 फकरूद्दीन दोनों सह

ग्रामीण हैं जो कि पंचायत में उपस्थित थे जहां उत्तरदाताओं द्वारा कथित रूप से गैर न्यायिक स्वीकारोक्ति की गई थी। अन्य सभी साक्षी औपचारिक और आधिकारिक साक्षी हैं। पी0 डब्लयू0 5 डॉक्टर पी0 के0 भटनागर ने मृतक के शरीर का अन्त्यपरीक्षण किया था। पी0 डब्लयू0 7 पूरणमल शर्मा दण्डाधिकारी हैं जिनके समक्ष मृत शरीर को कब्र ने निकाला गया था। पी0 डब्लयू0 9 एस0 आई0 कृपाल सिंह राठी मृत शरीर के बरामदगी के साक्षी हैं और उन्होंने पंचनामा तैयार किया था। पी0 डब्लयू0 10 जे0 पी0 जुयाल मामले के अनुसंधानकर्ता हैं। पी0 डब्लयू0 11 एस0 आई0 आनंद प्रकाश और पी0 डब्लयू0 12 दिनेश चन्द्र मिश्रा दो पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने क्रमशः एफ0 आई0 आर0 और जेनरल डायरी लिखा। कुल पंद्रह दस्तावेजी प्रदर्शों में प्रदर्श क–14 फारेंसिक परीक्षण रिपोर्ट और प्रदर्श क–2 अन्त्यपरीक्षण प्रतिवेदन है। बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा एक वस्तु प्रदर्श अर्थात् चाकू को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है।

5. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि अंतिम बार देखे जाने का कथन विश्वसनीय नहीं है। उनके द्वारा मृत शरीर का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के अनिश्चयात्मक विचार पर भी विश्वास दिखाया गया और मृतक के विसरा में पाये जाने वाले जहर जो कि अभियोजन मामले के प्रतिकूल था और उनके द्वारा गांव पंचायत के समक्ष मृतक को चाकू मारकर हत्या किये जाने के संबंध में किये गये गैर न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भी विचार किया गया। इसलिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है क्योंकि सभी परिस्थितियां सम्पूर्ण और निश्चयात्मक रूप से उस कड़ी को स्थापित करने में समर्थ नहीं हो पा रही हैं जो कि उत्तरदाताओं का अपराध प्रमाणित कर सके।

6. विद्वान उपमहाधिवक्ता ने कहा कि उत्तरदाता रिजवान के निर्देश पर मृत शरीर की बरामदगी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है और ऑर्गनोफॉस्फोरस कीटनाशक का पाया गया, विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय तर्क विरूद्ध है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है। विद्वान उपमहाधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि खून के धब्बे लगे हुये चाकू की बरामदगी भी अभियोजन मामले को प्रमाणित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं।

7. हमने श्री नवीन सिंह विष्ट संक्षिप्त विवरण रखने वाले विद्वान अधिवक्ता, श्री ललीत शर्मा अपीलकर्ता कुर्बान के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा अभियोजन वाद का समर्थन किया गया है। हमने उत्तरदाता के विद्वान मोहम्मद साजिद अहमद को भी सुना।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा चंन्द्रप्पा और अन्य बनाम् कर्नाटक राज्य (2007) 4 एस0 सी0 सी0 415 में दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील पर विचार करते हुये निम्न निष्कर्ष निकाले गयेः–

(i) एक अपीलीय न्यायालय के पास उन साक्षियों जिसके आधार पर दोषमुक्ति का आदेश पारित किया गया है कि समीक्षा, पुनर्विचार और मूल्यांकन करने का पूरा अधिकार है।

(ii) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा अपीलीय न्यायालय द्वारा ऐसे साक्षियों पर विचार करने के लिए दी गई शक्तियों के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाया गया है जिससे वह तथ्य और कानून के प्रश्न पर अपने निष्कर्ष पर पहुंच सके।

(iii) विभिन्न अभिव्यक्ति जैसे पर्याप्त और बाध्यकारी कारण, अच्छे और पर्याप्त आधार, बहुत मजबूत परिस्थितियां, विकृत निष्कर्ष, सुस्पष्ट भूल आदि का उद्देश्य दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। ऐसा मुहावरा की प्रकृति भाषा के फलने–फूलने के लिए है जिससे अपीलीय न्यायालय को दोषमुक्ति के विरूद्ध उसकी अनिच्छा पर जोर दिया जाए न कि न्यायालय की शक्तियों को साक्ष्यों के पुनर्विलोकन करने और अपने निष्कर्ष पर पहुंचने की शक्ति को कम करना है।

(iv) हालांकि दोषमुक्ति के मामलों में अपीलीय न्यायालय को यह यान में रखना चाहिए कि दोषमुक्ति होने के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरा प्रमाण उपस्थित है। पहला आपराधिक विधि शास्त्र के अंतर्गत मौलिक सिद्धांत की प्रत्येक व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक कि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध न कर दिया जाए। दूसरा चूंकि अभियुक्त की दोषमुक्ति हो चुकी है अतः उसके निर्दोषिता का तथ्य परीक्षण न्यायालय द्वारा पुनर्स्थापित और पुष्टि की गई है।

9. कानून के उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुये हमने पी0 डब्लयू0–1 और पी0 डब्लयू0 2 द्वारा अंतिम बार देखे जाने के संबंध में साक्ष्यों पर विचार किया। अपीलकर्ता के साथ अंतिम बार देखे जाने का तथ्य उस समय सुसंगत हो जाता है जबकि एक साथ देखे जाने और मृत शरीर के बरामदगी के बीच का समय अंतराल बहुत कम हो, जिससे कि इस तथ्य की कोई संभावना न हो कि कोई दूसरा व्यक्ति इस बीच आकर अपराध कारित कर सकता है। पहले यह स्थापित हो जाये कि प्रतिवादी और मृतक एक साथ में देखे गये थे और काफी समय पश्चात् मृतक मृत पाया गया तो हमेशा एक निश्चित संभावना रहती है कि कोई अन्य मृतक के सम्पर्क में आया हो और अपराध कारित किया।

10. भारतीय आपराधिक न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपने द्वारा लगाये गये आरोपों को प्रमाणित करना है। यदि अपीलकर्ता द्वारा अपराध कारित किये जाने के संबंध में कोई युक्तियुक्त संदेह है तो संदेह का लाभ अभियुक्त के पक्ष में जाता है अभियोजन के पक्ष में नहीं जब तक कि निश्चित रूप से अभियुक्त द्वारा लिये गये विशिष्ट तर्क के कारण प्रमाणित करने का भार बचाव पक्ष पर न आ जाये जो कि इस मामले में उपस्थित नहीं है।

11. इस मामले में अंतिम बार देखे जाने की घटना 01.11.1999 का है और मृतक की मृत्यु दिनांक 14.11.1999 का है। इसलिए दोनों तिथियों के बीच में काफी अंतर है, अतः वाद और वाद के तथ्यों पर विचार करते हुये इस न्यायालय का यह विचार है कि दोनों तिथियों के बीच काफी अंतर है।

12. मृत शरीर के बरामदगी के प्रश्न पर यह सत्य है कि मृत शरीर की बरामदगी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सम्पन्न हुई थी और उसके द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन भी किया गया है। परन्तु अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता रिजवान का कोई भी बयान अनुसंधान अधिकारी द्वारा नहीं लिखा गया। इसके अतिरिक्त सटीक सूचना और तथ्य की बरामदगी दस्तावेज प्रदर्श क–3 में परिलक्षित नहीं हो रही है। यद्यपि हमारा यह विचार है कि अभिरक्षा में अभियुक्त का लिया गया बयान जो कि तथ्य की सूचना से संबंधित है जो कि बाद में पाया जाता है और अपराध से संबंधित है आवश्यक है परन्तु अभिलेख पर यह तथ्य दर्शित करने के लिए होना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा हिरासत में स्वेच्छापूर्वक कौन सी सूचना दी गई जिससे कि न्यायालय उसकी विश्वसनीयता और सत्यता के निष्कर्ष पर पहुंच सके।

13. इस मामले को देखते हुये ऐसा कोई तथ्य यहां स्थापित करने के लिए उपस्थित नहीं है कि उत्तरवादी रिजवान ने पुलिस अभिरक्षा में कौन से सटीक शब्द कहे थे, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ हैं कि मृत शरीर की बरामदगी उत्तरवादी रिजवान के विरूद्ध एक परिस्थिति है।

14. तीसरा यह देखा गया है कि इस मामले में हुई पोस्टमार्टम परीक्षण किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और पी0 डबलयू0 5 डॉक्टर पी0 के0 भटनागर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपघटन के कारण वह मृत शरीर पर कोई जख्म नहीं पा सके। हालांकि मृत शरीर पर जख्म न पाया जाना उत्तरवादी द्वारा दिये गये गैर न्यायिक स्वीकारोक्ति बयान की सत्यता पर संदेह

प्रकट करता है। इसके अलावा उत्तरवादियों द्वारा गांव पंचायत के समक्ष गैर न्यायिक स्वीकारोक्ति किया गया था और यह कहा गया है कि उन्होंने मृतक की हत्या चाकू से किये जाने के बारे में बताया था। हालांकि अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक के विसरा के सिरम संबंधी और रासायनिक परीक्षण जो कि पी0 डब्लयू0 5 द्वारा पोस्टमार्टम परीक्षण के समय संरक्षित किया गया था जिसमें ऑर्गनोफास्फोरस कीटनाशक पाया गया था। परन्तु अभियोजन का यह मामला नहीं है कि मृतक की मृत्यु जहर से हुई है बल्कि उत्तरवादियों ने संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने बयान में कहा है कि मृतक अपने प्रेमी द्वारा धोखा दिये जाने के कारण जहर खा लिया।

15. इस प्रकार अभियोजन मामले के विरूद्ध एक युक्तियुक्त संदेह पैदा होता है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा चन्द्रप्पा एवं अन्य बनाम् कर्नाटक राज्य में दिये गये निर्णय के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उत्तरवादियों को उपलब्ध निर्दोषता का सिद्धांत जो कि आपराधिक विधि शास्त्र के अंतर्गत मौलिक सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी न प्रमाणित कर दिया जाये को विद्वान परीक्षण न्यायाधीश द्वारा दोषमुक्त के निर्णय के साथ और अधिक प्रभावशाली, पुनर्स्थापित किया गया है।

16. इसके अलावा यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दो निष्कर्ष संभव हैं तब अपीलीय न्यायालय विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्त के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा विद्वान परीक्षण न्यायालय को साक्षियों के साक्ष्य लिपिबद्ध करते समय साक्षियों की सत्यता को देखने का अवसर मिलता है और ऐसा निष्कर्ष जो कि विद्वान परीक्षण न्यायालय के संतुलित सामान्य प्रज्ञा और प्रशिक्षित सहजबुद्धि पर आधारित है तो उसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा सामान्य रूप से हस्तक्षेप करते हुये दोषमुक्ति के आदेश को दोषसिद्धि में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। इस मामले को देखते हुये यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है

राज्य और परिवादी द्वारा दायर किये गये अपील में कोई योग्यता नहीं है इसलिए उसे खारिज किया जाता है।

18. विचारण न्यायालय के अभिलेख तत्काल वापस भेजे जायें।

न्यायमूर्ति
एस0 के0 मिश्रा

न्यायमूर्ति
आलोक कुमार वर्मा

दिनांक 06वीं सितम्बर, 2022